

(24)

**न्यायालय-ए0के0गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला**  
**मिण्ड (म0प्र0)**

आपराधिक प्रक0क्र0-1135/15

संस्थित दिनांक-07.12.15

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र-गोहद चौराहा

जिला-मिण्ड (म0प्र0)

विरुद्ध

गंधर्व पुत्र टुण्डेराम जाटव उम्र 52 साल

निवासी वार्ड क्र0 18, टावर के पास ग्वालियर

रोड गोहद चौराहा जिला मिण्ड म0प्र0

.....अभियोगी

.....अभियुक्त



--:: निर्णय ::--

**{आज दिनांक 22.09.2017 को घोषित}**

अभियुक्त पर आयुध अधिनियम 1959 (जिसे अत्र पश्चात "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 25-(1बी) (ए) के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि वह दिनांक 29.10.15 को 19:40 बजे, मिण्ड ग्वालियर रोड नावली मोड़ तिराहा नामक सार्वजनिक स्थल पर अपने ज्ञानपूर्ण आधिपत्य में एक 315 बोर आग्नेय आयुध तथा एक जिंदा कारतूस अवैध रूप से बिना अनुज्ञप्ति रखे पाया गया।

2. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 29.10.15 को थाना गोहद चौराहा पर पदस्थ एसआई सुरेशदत्त मिश्रा इलाका भ्रमण हेतु रवाना हुए। दौरान इलाका गश्त सूचना मिली कि हाईवे मोड़ पर नावली रोड पर एक व्यक्ति अवैध कट्टा लिए किसी साधन का इंतजार कर रहा है। सूचना की तत्पश्चात हेतु मय फोर्स के मुखबिर के बताए स्थान पर पहुंचा तो एक व्यक्ति इधर उधर चलने लगा जिसे घेरकर पकड़ा। नाम पता पूछने पर अभियुक्त ने अपना नाम पता बताया। तलाशी लेने पर पैट के बांयी तरफ कमर में एक 315 बोर का कट्टा खुरसे मिला जिसे खोलकर देखा तो एक राउण्ड लगा पाया। आग्नेय आयुध रखने का लायसेंस पूछने पर नहीं होना पाया। मौके पर जब्त कर जब्ती पत्रक, गिर0 कर गिर0 पत्रक बनाया गया। थाने पर आकर अप0क्र0-252/15 पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। दौरान अनुसंधान साक्षीगण के कथन लेख किए गए, कट्टा व कारतूस की जांच कराई गयी, अभियोजन चलाए जाने की स्वीकृति ली गयी। तत्पश्चात् अभियोगपत्र पेश किया गया।

(22.09.2017)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद जिला

3. अभियुक्त को पद क्र 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। द0प्र0स0 की धारा 313 के अधीन अभियुक्त ने अपने कथन में निर्दोष होना तथा झूठा फंसाया जाना बताया।

4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं -


1. क्या अभियुक्त दिनांक 29.10.15 को 19:40 बजे, मिण्ड ग्वालियर रोड नावली मोड़ तिराहा नामक सार्वजनिक स्थल पर अपने ज्ञानपूर्ण आधिपत्य में एक 315 बोर आग्नेय अस्त्र तथा एक जिंदा कारतूस अवैध रूप से बिना अनुज्ञप्ति रखे पाया गया ?

### --: सकारण निष्कर्ष :-

5. अभियोजन की ओर से प्रकरण में सुरेश मिश्रा अ0सा0 1, अजय शर्मा अ0सा0 2, महेन्द्र सिंह मंदौरिया अ0सा0 3, मूलचंद अ0सा0 4, किशनलाल अ0सा0 5, जितेन्द्रसिंह गुर्जर अ0सा0 6 को परीक्षित कराया गया है, जबकि अभियुक्त की ओर से बचाव में किसी साक्षी का कथन नहीं कराया गया है।

6. जब्तीकर्ता एसआई सुरेश मिश्रा अ0सा0 1 यह कथन करते हैं कि दिनांक 29.10.15 को थाना गोहद चौराहा में पदस्थ थे। उक्त दिनांक को रोजनामचा सान्हा क्र 893 पर रवानगी डालकर मय फोर्स के शासकीय वाहन के इलाका भ्रमण हेतु गए थे। इलाका भ्रमण के दौरान छीमका हाईवे के पास सूचना मिली कि हाईवे रोड के बगल से नावली मोड़ पर एक व्यक्ति अवैध कट्टा लिए किसी साधन का इंतजार कर रहा है। सूचना की तस्दीक हेतु वे नावली मोड़ पर मय फोर्स के पहुंचे तो एक व्यक्ति पुलिस को देखकर झुगड़ झुगड़ चलने लगा जिसे मय फोर्स की मदद से पकड़ा तो अभियुक्त ने अपना नाम व पता बताया। अभियुक्त की जामा तलाशी लेने पर उसके पैट की बांयी कमर में एक कट्टा 315 बोर का खुरसे मिला जिसे खोलकर देखने पर उसके चैम्बर में एक राउण्ड मिला। जिसके संबंध में उसके द्वारा लायसेंस चाहे जाने पर लायसेंस न होना बताया। कथन करता है कि शाम 7:40 बजे साक्षियों के समक्ष उक्त कट्टा व कारतूस जब्तकर जब्ती पत्रक प्र0पी0 1 बनाया और गिर0 कर गिर0 पत्रक प्र0पी0 2 बनाया था जिन पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित करता है। तत्पश्चात् थाने पर आकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध किए जाने का कथन करते हुए उक्त रिपोर्ट प्र0पी0 3 पर अपने ए से ए भाग पर हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं।

7. प्रकरण में जब्ती कार्यवाही के साक्षी आरक्षक मूलचंद तथा आरक्षक जितेन्द्रसिंह गुर्जर हैं। मूलचंद अ0सा0 4 एवं जितेन्द्रसिंह अ0सा0 6 दोनों द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में जब्तीकर्ता अधिकारी एसआई सुरेश मिश्रा के कथनों का समर्थन करते हुए नावली मोड़ पर अभियुक्त के अवैध कट्टा व कारतूस लिए पकड़े जाने का समर्थन किया है। उक्त साक्षियों ने जब्ती पत्रक, गिर0 पत्रक क्रमशः

  
निदेशक पुलिस प्रथम श्रेणी  
जिला पुलिस



प्रपी0 1 व 2 पर अपने बी से बी तथा सी से सी भाग पर हस्ताक्षरों को प्रमाणित किया है। अभियुक्त की ओर से सर्वप्रथम यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभिकथित जब्ती स्थान ग्वालियर मिण्ड राजमार्ग पर नावली मोड़ बताया गया है जो कि सार्वजनिक स्थान है किन्तु कोई भी स्वतंत्र साक्षी नहीं बनाया गया है। जब्तीकर्ता के प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 4 के संबंध में ध्यान दिलाते हुए यह निवेदन किया कि साक्षी ने 30-35 मिनट जब्ती स्थल पर रुकना बताया फिर भी कोई स्वतंत्र व्यक्ति परीक्षित नहीं कराया गया जिसका कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं है, अतः अभियोजन का मामला विश्वसनीय न होने का तर्क किया है।

8. प्रकरण में यह तथ्य स्वीकृत व उल्लेखनीय है कि जब्ती स्थल नावली मोड़ तिराहा बताया है जो कि राजमार्ग के बगल में सार्वजनिक स्थान के रूप में है, किन्तु जब्तीकर्ता अधिकारी सुरेशदत्त मिश्रा अ0सा0 1 ने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 4 में कथन किया है कि जब उन्होंने कार्यवाही की तब कोई व्यक्ति नहीं मिला। मूलचंद अ0सा0 4 ने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 5 में कथन किया है कि नावली मोड़ पर बस का कोई स्टॉपेज स्थाई नहीं है और स्वतः कथन किया है कि बस की सवारियां उतरती व चढ़ती होंगी तो बस रुकती होंगी। जितेन्द्र अ0सा0 6 कण्डिका 2 में बताता है कि जब नावली मोड़ पर पहुंचे तब एक ही व्यक्ति खड़ा मिला था। इस प्रकार से उक्त साक्षीगण ने अपने अभिसाक्ष्य में घटनास्थल पर किसी स्वतंत्र साक्षी की उपस्थिति न होने के आधार पर जब्ती साक्षी न बनाए जाने का आधार बताया है। साक्ष्य का ऐसा कोई नियम नहीं है कि स्वतंत्र साक्षी के अभाव में अभियोजन के मामले को पुलिस साक्षी की अभिसाक्ष्य के माध्यम से प्रमाणित नहीं किया जा सकता है। यदि पुलिस साक्षीगण की साक्ष्य विश्वसनीय हो तो उसके आधार पर भी दोषसिद्धि की जा सकती है। हाल ही में मान0 म0प्र0 उच्च न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टांत घनश्याम लक्ष्मीनारायण पाटीदार व अन्य विरुद्ध म0प्र0 राज्य 2016 किमनल लॉ जनरल 4937 में प्रतिपादित सिद्धांत उल्लेखनीय है। उक्त मामले में मान0 उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि विधि का सुस्थापित सिद्धांत यह है कि पुलिस अधिकारी की अभिसाक्ष्य पर भी दोषसिद्धि की जा सकती है, जबकि न्यायालय का यह मत हो कि साक्षी सत्यवादी एवं विश्वसनीय है। इस संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा मान0 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांत लूपचंद नारूजी जाट व अन्य विरुद्ध गुजरात राज्य (2004) 7 एस0सी0सी0 586, अब्दुल मजीद अब्दुल हक अंसारी विरुद्ध गुजरात राज्य (2003) 10 एस0सी0सी0 198 तथा पी0पी0 वीरन विरुद्ध केरल राज्य (2001) 9 एस0सी0सी0 57 पर आस्था व्यक्त की है। न्यायनिर्णय- राजाखिरना विरुद्ध स्वराष्ट्र राज्य ए आई आर 1954 एस सी पेज 217 में अभिनिर्धारित किया है कि सामान्य न्यायालय यही उपधारणा करेगी कि पुलिस द्वारा जो कार्य किया गया है वह सही रूप से किया गया है। पुलिस अधिकारी के द्वारा किये गये कार्य को अविश्वास की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। न्यायदृष्टांत- मदन सिंह विरुद्ध राजस्थान राज्य ए आई आर 1978 एस सी 1511, अनिल एलेसिस अन्टाय्या सदाशिव नन्दोस्कर विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य एआई आर 1998 एस सी 2943 तथा ताहिर बनाम

22.11.2015  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग  
मिर्जापुर



स्टेट आफ दिल्ली ए आई आर 1998 एस सी 3079 में यह सिद्धांत परिपादित किया कि मात्र पुलिस अधिकारी होने के कारण उसकी साक्ष्य अविश्वसनीय नहीं हो जाती है यह साबित होना चाहिए कि क्यो झूठा मामला बनाया जाएगा यदि पुलिस अधिकारी के कथनो का समर्थन स्वतंत्र गवाहो ने किया तो फिर भी पुलिस अधिकारी का कथन यदि विश्वसनीय है तो ऐसी स्थिति में उसके आधार पर भी सजा दी जा सकती है।

9. प्रकरण में यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि जब्ती का समय शाम 7:40 बजे का दर्शाया है जो कि रात्रि का आरंभ काल है और रात्रि के समय सार्वजनिक स्थानों पर भी आमजन की मौजूदगी हर समय होना संभव नहीं हैं। ऐसी दशा में मात्र स्वतंत्र साक्षियों के द्वारा जब्ती व गिरफ्तारी की अभियुक्ति न कराया जाना अभियोजन के मामले के प्रति घातक नहीं हैं। प्रकरण में इस तथ्य पर विचार करना है कि क्या पुलिस साक्षियों की साक्ष्य एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति की दृष्टि में विश्वसनीय हो सकती है। जब्तीकर्ता सुरेशदत्त मिश्रा अ0सा0 1 अपने अभिसाक्ष्य में जब्ती दिनांक 29.10.15 को थाने से रोजनामचा सान्हा क0 893 पर रवानगी डालकर मय फोर्स के रवाना होने का तथ्य बताते हैं, इसका उल्लेख प्राथमिकी प्र0पी0 3 में भी स्पष्ट रूप से किया गया है। साक्षी उक्त जब्ती व गिरफ्तारी की कार्यवाही के उपरांत थाने पर आकर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध किए जाने का कथन करते हैं। प्रकरण में प्र0पी0 3 की प्राथमिकी में उसे दर्ज करने का सुसंगत रोजनामचा सान्हा क0 897 अंकित है। मूलचंद अ0सा0 4 प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 2 तथा जितेन्द्र अ0सा0 6 प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 2 में रोजनामचा सान्हा में प्रविष्टि के संबंध में दरोगाजी अर्थात् एसआई सुरेशदत्त मिश्रा द्वारा प्रविष्टि के संबंध में बता पाने का कथन करते हैं। चूंकि मूलचंद अ0सा0 4 एवं जितेन्द्र अ0सा0 6 आरक्षक हैं, ऐसे में उन्हें रोजनामचा सान्हा में प्रविष्टि करने का अधिकार नहीं है। ऐसे में सुरेशदत्त मिश्रा अ0सा0 1 द्वारा अभिकथित रोजनामचा सान्हा के संबंध में कथन किया है, प्र0पी0 3 के दस्तावेज से समर्थित है व उस पर संदेह का कोई युक्तियुक्त आधार मौजूद नहीं है।

10. प्रकरण में जब्तीकर्ता सुरेश मिश्रा अ0सा0 1 न्यायालय में साक्ष्य में यह बताते हैं कि साक्ष्य के दौरान प्रस्तुत आर्टिकल ए1 का कट्टा तथा ए2 का कारतूस वे ही हैं जो कि अभियुक्त से उसके द्वारा समक्ष गवाहान जब्त किए गए थे। साक्षी प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 7 में प्र0पी0 1 पर जो नमूना सील अंकित है वह कट्टा व कारतूस पर अंकित न होना स्वीकार करते हैं और स्वतः बताते हैं कि जांच हेतु कट्टा कारतूस भेजे गए जहां उक्त सील निकल गयी होगी, पुलिस लाईन की सील लगी है। साक्षी अजय शर्मा अ0सा0 2 आरमोरर हैं जो कि मुख्य परीक्षण में बताते हैं कि प्रकरण में जब्तशुदा कट्टा व कारतूस जांच हेतु सीलबंद प्राप्त हुआ था और उन्होंने सील को खोलकर देखा था, तत्पश्चात् जांच उपरांत कट्टा व कारतूस को सील नमूना चस्पा कर थाना गोहद चौराहा वापस भेज दिया था। साक्षी कण्डिका 3 में यह बताते हैं कि कट्टा व कारतूस जिस कपडे में बंद होता है

जितेन्द्र  
नायक राजेश कुमार  
सिपाई



उस पर चपड़ी की सील थाने की लगी होती है और स्वीकार करते हैं कि जब उनके द्वारा सील खोली गयी तो उक्त चपड़ी की सील निकल गयी। इस प्रकार से अभिकथित नमूना सील जो प्र०पी० 1 में कॉलम नं० 13 में अंकित है, उसका आर्टिकल ए1 व ए2 पर अनुपस्थिति का न्यायोचित कारण अभियोजन साक्ष्य से समर्थित है।

11. प्रकरण में अभियुक्त की ओर से यह बचाव लिया गया है कि घटना दिनांक को अभियुक्त व उसके लडके को पुलिस सुबह 5 बजे घर से पकड़कर ले आई थी और अभियुक्त को डकैती के प्रकरण में फंसा देने की धमकी दी। प्रकरण के अभिलेख पर अभियुक्त को सुबह 5 बजे उसके घर से गिरफ्तार किए जाने के संबंध में कोई भी परिवाद अथवा शिकायत पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को की गयी हो, ऐसा कोई भी तथ्य अभिलेख पर नहीं है। ऐसे में अभिकथित बचाव के संबंध में लिया गया आधार किसी विश्वसनीय तथ्य के आधार पर समर्थित नहीं है। अभियोजन की साक्ष्य में ऐसा कोई तथ्य या विरोधाभासी परिस्थिति उत्पन्न नहीं हुई है जिसके आधार पर अभियुक्त से अभिकथित कट्टा व कारतूस जब्त किए जाने के संबंध में कोई संदेह उत्पन्न होता हो। ऐसे में अभियोजन की साक्ष्य से युक्तियुक्त संदेह से परे यह तथ्य प्रमाणित है कि अभियुक्त दिनांक 29.10.15 को 19:40 बजे, मिण्ड ग्वालियर रोड नावली मोड तिराहा नामक सार्वजनिक स्थल पर अपने ज्ञानपूर्ण आधिपत्य में एक 315 बोर आग्नेय आयुध तथा एक जिंदा कारतूस अवैध रूप से बिना अनुज्ञप्ति रखे पाया गया। अतः अभियुक्त को अधिनियम की धारा 25 (1-बी) ए के अधीन दोषसिद्ध किया जाता है।

12. अभियुक्त के जमानत मुचलके भारहीन किए गए। उसे अभिरक्षा में लिया गया।

13. अभियुक्त का कृत्य स्वेच्छा पूर्वक अपने ज्ञानयुक्त आधिपत्य में बिना वैध अनुज्ञप्ति के आग्नेय आयुध संचारित किए जाने के आधार पर दोषी पाया गया है, ऐसे में उसे परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिये जाने का कोई आधार नहीं पाया जाता है। दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्त व उनके विद्वान अभिभाषक को सुने जाने हेतु निर्णय लेखन कुछ समय के लिए स्थगित किया जाता है।

**पुनश्च:**

14. अभियुक्त एवं उनके विद्वान अभिभाषक को सुना गया। उन्होंने अभियुक्त की प्रथम दोषसिद्धि का कथन करते हुए अभियुक्त के मजदूर होने के आधार पर एवं उसके अभिरक्षा में बिताई गयी अवधि को देखते हुए उसे कम से कम दण्ड से दण्डित किए जाने का निवेदन किया है। अभियोजन को भी सुना गया।

22 अक्टूबर 15  
50 के 0-गुप्ता प्रथम भूखंड  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद जिला मिण्ड मध्य प्रदेश

22 अक्टूबर 15  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद जिला मिण्ड मध्य प्रदेश




15. अभियुक्त यद्यपि अभियोजन दस्तावेजों के अनुसार करीब 52 वर्षीय व्यक्ति है, किन्तु उसके द्वारा ज्ञानयुक्त आधिपत्य में बिना अनुज्ञप्ति के अपराध कारित करने के आशय से आग्नेय आयुध संधारित किए जाने के संबंध में आरोप प्रमाणित पाया गया है। यद्यपि अभियुक्त की पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में अभिलेख पर तथ्य नहीं हैं किन्तु चंबल क्षेत्र में अवैध हथियारों से अपराधों को कारित किए जाने की प्रवृत्ति तीव्रता से बढ़ रही है जिसे हतोत्साहित किए जाने का प्रयास प्रत्येक स्तर पर आवश्यक है ऐसे में अभियुक्त को अधिनियम की धारा 25-(1बी) (ए) के अधीन न्यूनतम उपबंधित सजा **एक वर्ष के सश्रम कारावास तथा पांच सौ रुपये** के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्त को **एक माह का सश्रम कारावास** भुगताना जावे।

16. अभियुक्त से जब्तशुदा आग्नेय आयुध अपील अवधि पश्चात् विधिवत निराकरण हेतु जिला दण्डाधिकारी मिण्ड को प्रेषित किया जावे। अपील की दशा में मान० अपील न्यायालय के आदेश का अक्षरशः पालन हो।


अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि के संबंध में दफ्तर की धारा 428 का प्रमाणपत्र आवश्यक रूप से संलग्न किया जावे। अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि यदि कोई रही हो तो वह दी गयी सजा में समायोजित की जावे।

18. निर्णय की एक प्रति अविलंब अभियुक्त को प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,  
हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित  
कर घोषित किया गया।

  
ए०के० गुप्ता  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहदा जिला मिण्ड राज्य प्रदेश  
मिण्ड जिला

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

  
ए०के० गुप्ता  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहदा जिला मिण्ड राज्य प्रदेश  
न्यायिक मजिस्ट्रेट